


निविदा क्रय तिथि 25-11-2015 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि 25-11-2015 सांय 4.00 बजे
निविदा मूल्य 500/- रूपये



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
(राजस्थान सरकार का संस्थान)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
302005, फोन-0141-2227267, फैक्स-0141-5115766,
वैबसाइट: www. rajsico.in/ webmail, E-mail-rajsico@rajsico.in
CIN:- U91110RJ1961SGC001118

जयपुर दिनांक

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

1. निविदाएं अनुसूची- 4 में वर्णित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी (डीजल/पेट्रोल) में कौन से मॉडल की वाहन लेने का निर्णय प्राप्त व्यवहारिक दरों पर निर्भर करेगा। दर संविदा वर्ष 2012 अथवा बाद के नये मॉडल के लिए ही की जावेगी। वाहन का मॉडल वर्ष 2012 से पूर्व का मान्य नहीं होगा। वाहन की आर.सी. फर्म, संचालक/पार्टनर के नाम पंजीकृत होनी चाहिए तथा वाहन से संबंधित आर.सी.पत्रादि तकनिकी निविदा के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. अमानत राशि 10,000/-रूपये का डी.डी. दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर के नाम से तकनिकी निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।
3. निविदा की दरों का आधार-अनुबन्धित वाहनों को, जो टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होगा, मय वाहन चालक की सेवाओं सहित लिये जायेगा। सेवादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के लिए दो श्रेणियों में दरें प्रस्तुत की जानी हैं-(क) मासिक आधार पर न्यूनतम 1500 किमी चालन पर (ख) आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर न्यूनतम किमी पर प्रतिदिन वाहन की दर। निगम वाहन की सूविधा आवश्यकता अनुसार जयपुर एवं जोधपुर में ले सकता है। अतः निविदा भी प्रस्तावित करें समान रूप से दोनों स्थलो पर लागू होगी।
4. साधारणतः अनुबन्धित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक कार्य करेगा। निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात वाहन को निगम द्वारा फर्म को पूर्व सूचना देकर उपयोग में लिया जा सकेगा। साथ ही सेवादाता द्वारा प्रदत्त वाहन की सेवाएं राजकीय/राजपत्रित अवकाशों के दिन भी आवश्यकता होने पर ली जा सकेगी। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
5. मासिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन यदि न्यूनतम 1500 किमी प्रतिमाह चलने के उपरान्त वाहन अतिरिक्त कि.मी. चलेगा तो उसका भुगतान निविदा में सफल निविदादाता के द्वारा दी गई प्रति कि.मी. की दर के आधार पर किया जावेगा।
6. वाहन के मुख्यालय (जयपुर) से बाहर जाने एवं वही रात्रि विश्राम करने पर अतिरिक्त रूपये 200/- प्रति रात्रि विश्राम चार्ज से अधिक नहीं दिया जावेगा।
7. वाहन उपलब्ध नहीं कराने/गैर हाजिर रहने/खराब होने/दुर्घटना होने पर, तत्काल अन्य वाहन निविदादाता द्वारा (जिसकी स्थिति अनुबन्धित वाहन जैसी होगी) तत्काल व्यवस्था कर उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन की व्यवस्था नहीं होने पर विभाग द्वारा वाहन बाजार से

लिया जायेगा तो उसका आधार रिस्क एण्ड कोस्ट होगा जिसकी पूर्ति निविदादाता के अनुबन्ध राशि से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की दर राशि का 1½ गुना राशि शास्ती स्वरूप वसूल की जावेगी।

- 8 वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा,रजिस्ट्रेशन,प्रदूषण,चालक का लाईसेंस यूनीफार्म या अन्य जो कानूनन जरूरी है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा उसका व्यय भार भी अनुबन्धकर्ता को वहन करना पड़ेगा। कानूनन जरूरी प्रपत्रों के अभाव में उत्पन्न होने वाला व्यय भार निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।
- 9 तकनिकी निविदा के साथ फर्म जिसके नाम से निविदा प्रस्तुत की जा रही है,के गत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करें तथा उक्त फर्म का न्यूनतम टर्न-ऑवर 10.00 लाख से अधिक होना आवश्यक है।
- 10 विभाग को अनुबन्धित वाहन से कोई भी असुविधा होने पर उसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। असुविधा होने पर किया गया व्यय बिल में काटा जावेगा।
- 11 मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन लॉग बुक में प्राविष्टियां दर्ज करानी होगी तथा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक गत माह का बिल लॉग बुक की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। यदि अवधि में बिल प्रस्तुत नहीं किये गयेतो समय पर भुगतान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। तीन माह से अधिक अवधि के बिलों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दैनिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहनों के बिलों का भुगतान संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा ड्यूटीसिल्य पर उपयोग किये गये किलोमीटर तथा यात्रा संबंधित ब्यौरा स्वयं प्रमाणित करने पर किया जावेगा।
- 12 किसी प्रकार की वाहन की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी समस्त जबाबदारी वाहन मालिक की होगी। कोई भी न्यायिक/श्रम नियम/अन्य नियम की पालना का उत्तरदायित्व भी वाहन मालिक का होगा।
- 13 डीजल,पेट्रोल,ऑयल मरम्मत एवं चालक आदि का व्यय स्वयं वाहन मालिक को वहन करना होगा।
- 14 अनुबन्धित वाहन के मरम्मत पर जाने पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा जो अनुबन्धित वाहन के समान अथवा बेहतर हो।
- 15 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर या चालान होने पर वाहन मालिक की ही जिम्मेदारी होगी एवं विभाग उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
- 16 वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है। जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा। इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी पर भुगतान नहीं होगा व उस हेतु संबंधित के विरुद्ध पेनल्टी लगाई जायेगी।
- 17 अनुबन्धित वाहन/वाहनों को राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य के अलावा किसी भी दूसरे कार्य के लिए नहीं लिया जा सकेगा।
- 18 यह वाहन अनुबन्ध निविदा पर निर्णय के दिनांक से प्रभावी होगा तथा अनुबन्ध में अंकित अवधि के लिए मान्य होगा। दोनो पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि को बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
- 19 टोल टैक्स व एयरपोर्ट या पार्किंग स्थल के शुल्क रसीद प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा देय होंगे परन्तु प्रथमत यह टैक्स अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

- 20 टी.डी.एस.सर चार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अन्य कर मासिक बिल में से काट कर नियमानुसार संबंधित विभाग/संस्था में जमा कराये जावेंगे जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा वाहन मालिक को दी जावेगी। यह समस्त कर राशि स्वीकृत राशि में से ही काटी जावेगी एवं अलग से देय नहीं होगी तथा सेवाकर यदि लागू हो तो विभाग द्वारा अतिरिक्त दिया जायेगा जिसका निविदा में उल्लेख किया जावे।
- 21 वाहन के संबंध में किसी प्रकार की गैर कानूनी कृत्य/ अनियमितता पाये जाने पर विभाग तुरन्त प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा जिस संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा सुरक्षा राशि जब्त करली जायेगी।
- 22 इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा निर्धारित निविदा पत्र में दोहरे लिफाफा पद्धति के आधार पर ही प्रस्तुत करेंगे। निविदा फॉर्म इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस व कार्यालय समय में दिनांक 25-11-2014 तक समय 2.00 बजे तक रूपये 500/- नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म राशि वापस नहीं की जावेगी।
- 23 प्रथम लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं उसके पत्रादि होंगे तथा अमानत राशि का विवरण अंकित होगा। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा होगी।
- 24 यदि निविदादाता संबंधित लिफाफों पर तकनीकी निविदा या वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से नहीं लिखेगा एवं मोहरबन्द नहीं करेगा, तो उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 25 तकनीकी निविदाओं में सफल निविदादाता जो योग्य पाये जायेंगे उनकी ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी और वित्तीय रूप से सफल निविदादाता को ही अनुबन्ध का पात्र माना जायेगा।
- 26 अमानत राशि कोवल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद के रूप में जमा करानी होगी जिसके बिना संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अमानत राशि जमा कराने का प्रमाण-पत्र तकनीकी निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- 27 सफल निविदादाता का चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। असफल निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही उन्हें खोला जायेगा।
- 28 जो निविदायें निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 29 निविदा प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर है।
- 30 निविदाये सील बन्द लिफाफे में दिनांक 18-11-2015 को अपरान्ह 2.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय बाक्स में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 31 निविदायें क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 18-11-2015 को सांय 3.00 बजे खोली जावेगी जिसमें निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- 32 निविदा प्राधिकारी न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं किसी भी निविदा या उसके भाग को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
- 33 निविदाकर्ता को आयकर, सेवाकर एवं अन्य जो भी राजकीय एवं केन्द्रीय कर लागू है के प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

- 34 सफल निविदा को अनुमानित वार्षिक अनुबन्ध की 5 प्रतिशत राशि बतौर Security Amount दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर में जमा करानी होगी। इस संबंध में जी.एफ. एण्ड आर. के नियमानुसार राशि जमा कराई जा सकेगी। इस राशि में अमानत राशि के रूप में प्राप्त राशि का समायोजन किया जावेगा।
- 35 सफल निविदादाता यह राशि सहमति पत्र जारी होने के एक सप्ताह में जमा करायेगा व 500/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करायेगा। इसके पश्चात ही यदि इस अवधि में वह अनुबन्ध व सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं करायेगा तो उसकी अमानत राशि जब्त कर दूसरे निविदादाताओं को अवसर दिया जायेगा। प्रक्रिया में विलम्ब हेतु उसे उत्तरदायी माना जायेगा।
- 36 मासिक वाहनो के अतिरिक्त वाहन जो समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के होंगे, मांग होने के समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
- 37 मासिक अनुबन्ध पर जो भी वाहन अनुबन्धित किये जायेगे उन्हें दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर कार्यक्षेत्र एवं उसके बाहर के जिलों/शहर में सक्षम स्वीकृति लेकर उनका उपयोग किया जा सकेगा जिसका भुगतान पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।
- 38 न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।
- 39 किसी भी विवाद में प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
- 40 वाहन में पेट्रोल/डीजल सुचारू रूप से भरा होना चाहिए यदि किसी कारणवश विभाग द्वारा उसमें पेट्रोल/डीजल भरवाया जाता है तो प्रत्येक वार के लिए पेनल्टी स्वरूप 500/- रूपये की कटौती बिल से की जावेगी।
- 41 पेट्रोल एवं डीजल की दरों में वृद्धि होने पर किसी भी प्रकार की दरें नहीं बदली जावेगी।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदा प्राधिकारी

निविदा फार्म

1 प्रेषक

क	निविदा प्राधिकारी का नाम	
ख	पता	
ग	दूरभाष नं.	
घ	फैक्स नं. / Email id.	

2 निविदा संदर्भ : दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 / टैक्सी / 2015-16 / दिनांक

क	निविदाकर्ता का नाम(फर्म का नाम)	
ख	संबंधित व्यक्ति का नाम	
ग	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ	दूरभाष नं.	
ङ	फैक्स नं.	

4 निविदा –फार्म फीस (रू0 500/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....
द्वारा जमा करादी गई है।

5 दी गई दरें अनुबन्ध में अंकित दिनांक से 24 माह के लिए प्रभावी होगी तथा इन दरों व अनुबन्ध को आपसी सहमति से फर्म की संतोषप्रद सेवाओं के प्रमाण-पत्रों के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

6 अमानत राशि जमा कराने का विवरण:-

	अमानत राशि जमा	संख्या	दिनांक
क	ड्राफ्ट / बैंकर चैक (स्थानीय)		

7 आयकर प्रमाण-पत्र / सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र

तकनीकी निविदा

1	ट्रेवल एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष व्यक्तिगत:- फर्म:- कम्पनी:-	
2	ट्रेवल एजेन्सी के द्वारा सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं को दर अनुबन्ध पर उपलब्ध कराये गये वाहनों की संख्या मय वाहन नम्बर(वर्ष अनुसार) एवं अनुबन्ध की प्रतियां	
3	ट्रेवल एजेन्सी में उपलब्ध गाड़ियों की संख्या जो उनकी कम्पनी के नाम रजिस्टर्ड है या लिखित में अनुबन्धित है। 3 स्वयं के नाम 4 ट्रेवल एजेन्सी से अनुबन्धित वाहन (वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं अनुबन्ध की फोटो कॉपी संलग्न करें, अनुबन्ध केवल वे ही मान्य होंगे जो वर्ष 2012 अथवा बाद के होंगे)	
4	ट्रेवल एजेन्सी में उपलब्ध गाड़ियों की मेक मॉडल अनुसार संख्या (सूचि संलग्न करें)	
5	ट्रेवल एजेन्सी के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थापित स्थान	
6	कार्यालय में संचार व्यवस्था एवं नम्बर (टेलीफोन, फैक्स,मोबाईल)	
7	अमानत राशि जमा कराने का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर चेकर(स्थानीय)कैश	
8	गत 3 वर्षों की ऑडिटेड बैलेन्सशीट / सीए द्वारा प्रमाणित टर्न ऑवर प्रति संलग्न करना है।	

हस्ताक्षर निविदाकर्ता फर्म

वित्तीय निविदा

सामान्य वित्तीय शर्तें:-

- 1 वाहन दो प्रकार से अनुबन्धित होंगे। प्रथम मासिक आधार पर एवं द्वितीय दैनिक आवश्यकता के आधार पर।(प्रति घंटे की दरें मान्य नहीं होगी।)
 - 2 मासिक आधार पर वाहन की दरें(वाहन एकमाह में न्यूनतम 1500 कि.मी. चालन अनुसार) प्रस्तुत की जावेगी। 1500 कि.मी.तक एकमाह में चलने पर कोई अतिरिक्त राशि अनुबन्धकर्ता को देय नहीं होगी।
 - 3 1500 कि.मी.के पश्चात वाहन को प्रति किलो मीटर के आधार पर अतिरिक्त दरें निविदा में अंकित की जायेगी। यह दर वित्तीय निविदा में न्यूनतम एवं सफल निविदादाता की दर के आधार पर होगी।
 - 4 वाहन सुबह 9.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक रहेगा उसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में इसके पूर्व एवं पश्चात वाहन कार्य में लिया जावेगा तो कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - 5 मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहन यदि जयपुर/जोधपुर जिले से बाहर परियोजना के कार्य के लिए जाता है तो उसे कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
 - 6 तकनीकी स्तर पर सफल निविदादाता की दरें 1500 कि.मी.की दरों के आधार पर जिसकी न्यूनतम होगी को सफल निविदादाता घोषित किया जायेगा।
 - 7 निविदादाता दो श्रेणी के वाहनों की दरें देगा (क) श्रेणी के जिन्हें मासिक आधार पर प्रथमतः एवं (ख) श्रेणी के वाहन जो प्रतिदिन आवश्यकता के आधार पर प्रतिदिन दर एवं प्रति किलो मीटर के आधार पर उपलब्ध करायेगा।
- (क) श्रेणी के वाहन जो-जिन्हें मासिक आधार पर अनुबन्धित किया जाना है।

मासिक आधार पर अनुबन्ध की दर

वाहन	औसत ईंधन खपत प्रति लीटर किलोमीटर	दर प्रतिमाह (1500 कि.मी.)		1500 कि.मी. के अतिरिक्त के लिए (प्रति किलोमीटर)	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
टाटा इंडिका एसी					
टाटा इंडिका नोन एसी					
टाटा इंडिगो/वेरीटो एसी					
टाटा इंडिगो/वेरीटो नोन एसी					
मारुति डिजायर/ईटीयोस एसी					
मारुति डिजायर/ईटीयोस नोन एसी					
एरटिगो/टवरो/जाइलो/इनोवा एसी					
एरटिगो/टवरो/जाइलो/इनोवा नोन एसी					
मिनी बस ए.सी					
मिनी बस नोन ए.सी.					

(ख) दैनिक आधार पर अनुबन्धित वाहनों की वित्तीय दरें

जयपुर मुख्यालय पर प्रतिदिन आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर			जयपुर मुख्यालय से बाहर हेतु प्रतिदिन प्रति कि.मी. के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर		
वाहन का नाम	दर प्रति घन्टा				
	4 घन्टे (40 कि.मी.)	8घन्टे (80 कि.मी.)	8 के अतिरिक्त घन्टे	न्यूनतम 250 कि. मी.	250 कि.मी. के अतिरिक्त कि. मी. की दर
एम्बेसडर ए.सी.					
एम्बेसडर नोन ए.सी.					
टाटा इन्डिका ए.सी.					
टाटा इन्डिका नोन ए.सी.					
टाटा इंडिगो / मारुति एस्टीम ए.सी.					
टाटा इंडिगो / मारुति एस्टीम नोन ए.सी.					
क्वालीस / स्कार्पियो / इन्- नोवा					
क्वालिस / स्कार्पियो / इन्- नोवा नोन ए.सी.					
मिनी बस ए.सी.					
मिनी बस नोन ए.सी.					

हमे निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में अंकित समस्त शर्तें मान्य है एवं हमने प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये हस्ताक्षर किये हैं ।

दिनांक2015

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

(ख) श्रेणी के वाहन जो – प्रतिदिन के प्रति किलोमीटर के आधार पर अनुबन्धित किया जाना है। मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त विभाग को अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता पडने पर दैनिक आधार पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की शर्तः—

- 8 विभाग द्वारा समय समय पर आवश्यकता पडने पर मासिक दर पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त वाहनो की आवश्यकता पडती है। इन वाहनों को केवल प्रतिदिन व प्रति किलोमीटर के आधार पर सफल निविदादाता को विभाग को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
- 9 यह वाहन सफल निविदादाता को अधिकतम 3 घण्टे में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना/कराने होगा यदि 3 घण्टे में यह वाहन अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेगा तो इन वाहनों/वाहन को बाजार से मंगा लिया जायेगा और उस पर अतिरिक्त व्यय होगा तो उसे निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- 10 यह वाहन यदि जयपुर मुख्यालय से बाहर जायेगा तो 250 किलो मीटर प्रतिदिन तक न्यूनतम चालन की गणना की जायेगी एवं 250 के पश्चात जो दर निविदा में स्वीकृत हुई हे उसके आधार पर दी जायेगी।
- 11 इस वाहन के चालक को कोई अतिरिक्त नाईट हॉल्टिंग एवं अन्य खर्च जो वाहन चालक एवं वाहन से संबंधी है दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0,जयपुर द्वारा देय नहीं होंगे, यह खर्चे अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 12 वाहन पर लागू टोल-टैक्स, अन्तर्राज्यीय टैक्स इत्यादि यदि भारित होता है तो वह रसीद प्रस्तुत करने पर देय होगा।
- 13 अन्य सभी सामान्य शर्तें जो ऊपर दी गई है। वह भी इस पर लागू होगी।